अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 93/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयबद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री अनिरुद्ध कुमार यादव वो अंचल निरीक्षक श्री तारकेश्वर दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बढ़ुवा थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 74/19 दाग नं0 32 रकबा 01-00-00 किस्म परती कदीम श्री गोपाल रिवार पिता ... साकिन ... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री गोपाल रिवार को दिनांक 30/7/16 समय 11:10 Am पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

21/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

30/7/16

अभिलेख उपस्थापित। गोपाल रिवार के वकील प्रदीप यादव उपस्थित। इन्होंने भूमि प्राप्ति के संबंध में E.C.M.L समर्पित किया गया है। इन्होंने बताया उक्त सम्पूर्ण भूमि E.C.L द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। इनके दखल में कोई जमीन नहीं है। अतः अभिलेख 1/8/16 को रखें।

30/7/16
अं0अ0

Vijay Kr. Yadav

sandha

11/8/16 अभिलेख उपस्थापित। जयराज कुं० यादव उपस्थित। दस्तावेज समर्पित अभिलेख दिनांक 23/8/16 को रखें।

31/7/2020 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें।

अ० अ०

अं० अ०
महागामा

05/01/2021 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक, महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार अवैध्य संदेहास्पद पंजी II रैयत को भूमि सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त भूमि ECL क्षेत्र के भू-अर्जन्य क्षेत्र के अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

संशोधित

अं० अ०
महागामा

अंचल अधिकारी
महागामा

अखराज कु० यादव

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :— अवैध संदेहास्पद वाद संख्या ....93..../2016–17 भोगल खिरहर .... पिता–. सोखी खिरहर ...., का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पद वाद संख्या ...... 93 ..../2016–17 भोगल खिरहर .... पिता–सोखी खिरहर ...., का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बरुआ, थाना नं0–692 के गैरमजरूआ खाता सं0–24/........ के अंदर दाग नं0–32 का अंश रकवा .... धूर किस्म– परती–कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल पदाधिकरी, गोड्डा के .....L.A...... केश नं0–.....118/80–81............ के माध्यम से ....भोगल खिरहर..... पिता–.....सोखी खिरहर..... को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2021.09.22 00:50:49 -07:00
Location: 192.168.8.108

F:PK/496

Scanned with CamScanner